

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।

आदेश सं०-परिषद्/क०लि०/मान्यता/१५२-५३/२०१६-१७

दिनांक - १९.०५.२०१६

सेवा में,

प्रबन्धक,

पी०एन०एकेडमी, उमानगर, देवरिया

जनपद-देवरिया।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, २०१० के नियम १५ के उपनियम (४) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्तर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं पी०एन०एकेडमी, उमानगर, देवरिया, जनपद-देवरिया को दिनांक १५.०५.२०१६ से दिनांक १४.०५.२०१९ तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा ०८ तक अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा ८ के बाद मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (उपबन्ध १) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली २०१० (उपबन्ध-२) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- परीक्षात्मक प्रमाणों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा २ के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-२५ के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३(१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।


Principal
P. N. ACADEMY
Uma Nagar, Deoria

Scanned with CamScanner


प्रबन्धक
पी० एन० एकेडमी
उमा नगर, देवरिया

विद्यालय अधिनियम को धारा 19 में यथोचित विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित समय रिपोर्ट को गैर-प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
- कुल निर्मित क्षेत्र
- क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
- कक्षाओं की संख्या
- प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-मंडलागार के लिए कक्षा
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई
- बाधारहित पार्किंग
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/दस्तावेजों की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी ग्राहक/एकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 03 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है तो जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धि शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय
(मनोज कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

पृ0सं0: परिषद/क0लि0/मान्यता/
प्रतिलिपि- सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), सप्तम मण्डल, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
/2016-17/तददिनांकित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।


Principal
P. N. ACADEMY
Uma Nagar, Deoria


प्रबन्धक
पी. एन. एकेडमी
उमा नगर, देवरिया